

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-१०११, दिनांक-१४.०३.२०१८ की कंडीका-५ को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए आवंटनादेश सं०-२३/आ० दिनांक-२०.०६.२०१७ के स्थान पर आवंटनादेश सं०-१५०/आ० दिनांक-२०.०३.२०१८ पढ़ा जाए।
२.शेष यथावत रहेगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-११७५.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०),बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-११७५.....

पटना, दिनांक..... २०/३/१८

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, प० चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०३, एवं प्रशाखा-०५, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-०१(सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री कसेराटोला औद्योगिक स्याबलंबी सहकारी समिति लि० कसेराटोला, मझौलिया, जिला-प० चम्पारण/ मेसर्स ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी०, गुड़गाँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।